IRDP / BPL

प्रति आव...../निजि ध्यानार्थ

समन्वय

संख्या: शिक्षा-एच(1)(91/2

शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला-171001, 23 अप्रैल, 1991.

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हि०प्र०
प्रधानाचार्य, राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, धर्मशाला, हि०प्र०
समस्त प्रधानाचार्य, रा०वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं, हि०प्र०
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

विषय:- अन्त्योदय परिवारों के बच्चों को विशेष आर्थिक सहायता तथा छात्रवृति प्रदान करना: बजट का आबंटन ।

ज्ञापन,

आपको सूचित किया जाता है कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष
91-92 में अन्त्योदय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर
छात्रवृति/आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है । जिसके अन्तर्गत रु०
51.00 लाख रूपये की धन राशि प्रारम्भिक आर्थिक सहायता हेतु प्रदान की है जिसका
आबंटन प्रपत्र क पर संलग्न है ।

इस राशि को किताबों, बर्दी एवम् लेखन सामग्री आदि पर व्यय
किया जाएगा । अतः अनुरोध है कि इस राशि का आहरण 30.4.91 से पहले कर
लिया जाए तथा इसको पात्र अन्त्योदय परिवारों के छात्र/छात्राओं को शीघ्र भुगतान
किया जाए जिसकी सूचना इस निदेशालय को 3.5.91 तक आवश्य उपलब्ध कराई
जाए ताकि सरकार को इससे अवगत कराया जा सकें । इस राशि के आहरण हेतु
अनुमोदित नियमावली की प्रतिलिपि भी आपको संलग्न की जाती है । नियमावली
के खण्ड 6 (अदायगी) के अनुसार राशि का आहरण एवम् वितरण किया जाए ।

यदि इस आबंटित राशि से आपको व्यय की कमी पड़ जाए तो
तार द्वारा इस निदेशालय को सूचित किया जाए और यदि आपके पास आबंटित
राशि बचती हो तो वह भी इस निदेशालय को तार द्वारा सुरैंडर की जाए ताकि
किसी दूसरी संस्था जिसको आवश्यकता हो, को वितरित की जा सके । इसके साथ
यह भी सुनिश्चित करें कि आपके जिले/संस्था में अन्त्योदय के सभी पात्र छात्र/छात्राओं
की सूची पूर्ण विवरण सहित इस निदेशालय को में उपलब्ध कराई जाए तथा कोई
भी पात्र छात्र/छात्रा उक्त आर्थिक सहायता से वंचित न रहे ।

इस राशि का आहरण सम्बन्धित आहरण एवम् वितरण
अधिकारियों द्वारा निम्न लेखा शीर्षकों से किया जाएगा ।

1. 2202-सामान्य शिक्षा (प्लान) 6-8
01-एलीमैंट्री एजुकेशन
109-स्कालरशिपस एण्ड इनसैंटिवज
02-स्कालरशिपस ऑफ मिडल स्कूलज
अण्डर अन्त्योदय छात्रवृति-1991-92

2. 2202-जनरल एजुकेशन (प्लान) 9-12
02-सेकेंडरी एजुकेशन
107-स्कालरशिप्स
01-स्कालरशिप्स ऑफ सेकेंडरी स्कूलज
अण्डर अन्त्योदय छात्रवृति-1991-92.

3. 2202-जनरल एजुकेशन (प्लान)
03-यूनिवर्सिटी एण्ड हायर एजुकेशन
107-स्कालरशिप्स
01-स्कालरशिप्स टू कालेज स्टूडेंटस
अण्डर अन्त्योदय छात्रवृति-1991-92

अत: पुन: अनुरोध है कि आबंटित की गई राशि का आहरण 30.4.91 से पूर्व आवश्य किया जाए तथा इसे अन्त्योदय परिवारों के पात्र छात्र/छात्राओं को तुरन्त वितरित किया जाए तथा इसकी पालना रिपोर्ट 3.5.91 तक आवश्य प्रेषित की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राशि का आहरण तथा वितरण नियमावली में दर्शाए गए रजिस्टर के प्रपत्र अनुसार विवरण रखा जाए जिसे निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण के समय देखा करेंगे।

शिक्षा निदेशक,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सम दिनांक शिमला-171001, 23 अप्रैल, 1991.

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार को उनके पत्र संख्या ग(10)/91-शिक्षा-दिनांक 22.4.91 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, हि0प्र0।

शिक्षा निदेशक,
हिमाचल प्रदेश।

(3)

पत्र "क" बजट का आबंटन

शिक्षा अधिकारियों के लिए

क्र॰	जिले का नाम	अन्त्योदय परिवारों की संख्या	बांटी गई राशि
1.	जि॰शि॰अ॰ कांगड़ा	20791	6.50 लाख
2.	" मण्डी	11837	5.50 "
3.	" ऊना	9279	5.00 "
4.	" शिमला	8500	4.50 "
5.	" चम्बा	7861	4.00 "
6.	" हमीरपुर	5747	3.50 "
7.	" बिलासपुर	5627	3.00 "
8.	" सोलन	5008	2.50 "
9.	" सिरमौर	5008	2.50 "
10.	" कुल्लू	4463	1.50 "
11.	" लाहौल-स्पिति	1187	1.50 "
12.	" किन्नौर	1102	1.00 "
		कुल जोड़:	41.00 लाख

समस्त वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के लिए

मु॰ 4000/-रूपये प्रति वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की दर से 150 वरिष्ठ मा॰ पा॰ के लिए = 4000x 150= 6.00 लाख रूपये

समस्त महाविद्यालयों एवम् संस्कृत महाविद्यालयों के लिए

मु॰ 16000/- रूपये प्रति महाविद्यालय की दर से (शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला समेत) 25 महाविद्यालयों के लिए= 16000 x 25 = 4.00 लाख रूपये

कुल आबंटित राशि:-

समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए	=	41.00 लाख
समस्त वरिष्ठ मा॰पा॰ के लिए	=	6.00 "
समस्त महाविद्यालयों के लिए	=	4.00 "
कुल जोड़:		51.00 लाख रूपये

शिक्षा निदेशक,
हिमाचल प्रदेश।

...प्रदेश के अन्त्योदय परिवारों के विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालय एवम् ...य महाविद्यालय स्तर पर आर्थिक सहायता व छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ...मावली, 1991

1. संक्षिप्त शीर्षक

अन्त्योदय परिवारों के विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालय एवम् राजकीय महाविद्यालय स्तर पर आर्थिक सहायता व छात्रवृत्ति योजना, 1991

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अन्त्योदय परिवारों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें ।

3. विषय क्षेत्र

यह आर्थिक सहायता एवम् छात्रवृत्तियाँ केवल हिमाचल प्रदेश के अन्त्योदय परिवारों के बच्चों को राजकीय विद्यालय एवम् राजकीय महाविद्यालय स्तर तक 1-4-91 से उपलब्ध होंगी ।

4. पात्रता एवम् शर्तें

1. यह आर्थिक सहायता एवम् छात्रवृत्ति अन्त्योदय परिवारों के विद्यार्थियों को जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी शिक्षा संस्थानों में निरन्तर अध्ययनरत रहेंगे, के लिए होगी ।

2. जो विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है उसे उसी कक्षा के लिए दूसरी बार यह सहायता एवम् छात्रवृत्ति नही दी जायेगी ।

3. इस योजना के अन्तर्गत जिन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता एवम् छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी उन्हें अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी तथापि जो विद्यार्थी गुणवत्ता छात्रवृत्ति में आएंगे उन्हें गुणवत्ता छात्रवृत्ति भी पूर्णतया देय होगी ।

5. आर्थिक सहायता एवम् छात्रवृत्ति की राशि

कक्षा	आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति छात्रों के लिए	छात्राओं के लिए
1 से 5	सभी विद्यार्थियों के लिए 150/-रू0 वार्षिक	
6 से 8	250/-रू0 वार्षिक	500/-रू0 वार्षिक
9 से 10	300/-रू0 वार्षिक	600/-रू0 वार्षिक
+1 और +2	सभी विद्यार्थियों के लिए 800/-रू0 वार्षिक	
महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास में नहीं रहते ।	सभी विद्यार्थियों के लिए 1200/-रू0 वार्षिक	
महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास में रहते हैं ।	सभी विद्यार्थियों के लिए 1200/-रू0 वार्षिक तथा 1200/-रू0 वार्षिक अतिरिक्त छात्रावास में रहने के लिए ।	

----2----

<u>अदायगी</u>

आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता के रूप में सत्र के प्रारम्भ में
में देय होगी । एक भाग विशेष आर्थिक सहायता के रूप में देय होगी जिसका भुगतान
दूसरा भाग छात्रवृत्ति के रूप में चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी जिसका भुगतान
त्रिमास समाप्ति के बाद पहले पखबाड़े में किया जाएगा परन्तु मार्च में समाप्त होने
वाली त्रिमास अवधि की छात्रवृत्ति का भुगतान मार्च महीने के दूसरे पखबाड़े में
कर दिया जाएगा । खण्ड 5 में दर्शाई गई राशि का वितरण आर्थिक सहायता व
छात्रवृत्ति अंशों में निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

कक्षा	सहायता की कुल वार्षिक राशि रुपये	प्रारम्भिक आर्थिक सहायता रुपये	शेष वार्षिक छात्रवृत्ति रुपये	छात्रवृत्ति जो त्रिमास के बाद दी जाएगी । रुपये
1 से 5	150/-	50/-	100/-	25/-
6 से 8 (छात्र)	250/-	70/-	180/-	45/-
(छात्राएं)	500/-	140/-	360/-	90/-
9से10 (छात्र)	300/-	80/-	220/- (220/-)	55/-
(छात्राएं)	600/-	240/-	360/-	90/-
10+2 (छात्र व छात्राएं)	800/-	300/-	500/-	125/-
महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास में नहीं रहते ।	1200/-	400/-	800/-	200/-
महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास में रहेंगे।	1200/=	400/-	800/-	200/-

इसके अतिरिक्त 300/- रू0 प्रति त्रिमास सरकारी छात्रावास रहने के लिए ।

7. <u>अदायगी की विधि</u>

आर्थिक सहायता एवम् छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए
उपरोक्त आर्थिक सहायता एवम् छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा ।
सम्बन्धित विद्यालय तथा महाविद्यालय में कोई आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा । कक्षावार
के आरम्भ में सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं में एक रजिस्टर बना कर उनमें कक्षावार
अन्त्योदय परिवार के छात्र/छात्राओं के नाम लिखा लिए जाएंगे । सम्बन्धित
मुख्याध्यापक/प्राचार्य इन छात्रों के परिवारों के पहचान पत्र स्वयं देखकर उसका
जारी करने वाले अधिकारी का नाम व जारी होने की तिथि छात्र के नाम के आगे
प्रविष्ट कर देंगे । भुगतान करते समय दी गई राशि की प्रविष्टि और प्राप्त कर
छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे । इस भुगतान हेतु रसीदी टिकट लगाने
आवश्यकता नहीं । सम्बन्धित संस्था के मुख्याध्यापक/प्राचार्य भुगतान दिखाने व
सभी प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे । निरीक्षण अधिकारी हर निरीक्षण के स
इस रजिस्टर को निरीक्षण के समय कर दी जाएगी । रजिस्टर
करेंगे और इस आशय की प्रविष्टि निरीक्षण के समय कर दी जाएगी । रजिस्टर
खाने निम्नलिखित होंगे :-

6

4

-----3-----

क्रम सं.	कक्षा में प्रवेश की तिथि	विद्यार्थी का नाम छात्र/छात्रा	प्रारम्भिक आर्थिक सहायता की राशि	विद्यार्थी के हस्ताक्षर	मुख्याध्यापक/प्राचार्य के हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.

छात्रवृत्ति की राशि तथा भुगतान की तिथि आदि ।

7.

किश्त	राशि	छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर तिथि सहित	मुख्याध्यापक/प्राचार्य के हस्ताक्षर तिथि सहित
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			
चतुर्थ			